6. There was a general consensus on bringing a Central Legislation ■ in respect of construction labour . and agricultural labour.

7. Regarding review of imple mentation of Labour Laws and 'Laws & Policies relating to Child Labour, Woman Labour and • Emigrant Labour, it was agreed that these matter would be. discussed in the Standing Labour Committee. '

Workers' participation in management

233. SHRI PRAMOD MAHAJAN. Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to give workers' participation in mana gement; and

(b) if so, what are the details thereof; and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PAS-WAN): (a) Yes, Sir.

(b) A legislation to give statutory basis to workers' participation in management is under consideration.

राजस्थान में कुओं और हैंड पम्पों से पानी की आपूर्ति

234. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या कृषि मंत्री 23 मार्च, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1354 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राजस्थान में हैंड पम्प और ट्यूब वैल लगाने पर कितनी धन-राशि खर्च किए जाने की संभावना है और कितने-कितने हैंड पम्प और ट्यूब वैल लगाए जाएंगे तथा पेय जल की समस्या को हल करने के लिए कितने नये कुएं खोदे जाएंगे और कितने कुओं को गहरा किया जाएगा और इस कार्य को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है, और

(ख) क्या सरकार की इंदिरा गांधी नहर, चम्बल, बनास और अन्य नदियों से लिफ्ट योजना के द्वारा पीने के पानी को उपलब्ध कराने की कोई योजनाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राज्य सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये 18.97 करोड़ रुपये की एक आपातिक योजना स्वीकृत की है । इस योजना में 453 ट्यूबवैलों और 5235 हैंडपम्पों (1710 शहरी क्षेत्रों में और 3525 ग्रामीण क्षेत्रों में) के लगाए जाने की व्यवस्था है । ये कार्य 30.6.1990 तक पूरे कर लिये जाने की संभावना है।

स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नये कुएं खोदने और कुओं को गहरा करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । उनकी संख्या की निगरानी भारत सरकार के स्तर पर नहीं की जाती है।

राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये हैंडपम्प और ट्यूबवैल लगाने और उनकी संख्या के बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है । योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे हैंडपम्पों और ट्यूबवैलों की संख्या के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित नहीं किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

खाद्य तेल का निर्यात

235. **श्री राम जेठ मलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष खाद्य तेल (सरसों के ते का निर्यात करने का निर्णय लिया है ;